# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 20/22
RCMS NO-2022/ 252 सन् 2022

बउनवानीः—1. गिर्राज पुत्र रामपाल जाति मीना निवासी लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर
2. श्रीमति रूकमणी पुत्री रामपाल पत्नि बाबूलाल मीना निवासी खेडी तह0 खण्डार

**बनाम**

1. अनिता पुत्री स्व0 सीताराम मीना निवासी लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर
2. मन्नी पत्नि स्व0 सीताराम मीना निवासी लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर
3. महावीर पुत्र स्व0 सीताराम मीना निवासी लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर
4. राजू पुत्र स्व0 सीताराम मीना निवासी लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर
5. सत्यप्रकाश पुत्र स्व0 सीताराम मीना निवासी लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर
6. घमण्डी पुत्र स्व0 रेखराज मीना निवासी लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर
7. पहलवान पुत्र स्व0 रेखराज मीना निवासी लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर
8. श्रीमति फूली पत्नि स्व0 रेखराज मीना निवासी लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर
9. पूजा पुत्री स्व0 रेखराज मीना निवासी लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर
10. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश सहायक भूप्रबंध अधिकारी प्रथम मुख्याल टोंक द्वारा पारित आदेश 5.8.1991 एवं उक्त आदेश की पालना में दर्ज फैसल नामा0 संख्या 04 निर्णय दिनांक 5.8.1991 एवं आदेश वाके ग्राम लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 )

उपस्थितः— 1. श्री श्याम मोहन शर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री अशोक पारीक — वकील रेस्पो. 1—5
3. श्री हरीश पारीक — वकील रेस्पो0 6—9

**—: निर्णय :—** **दिनांक 24.7.2024**

अपील अपीलान्ट ने सहायक भू प्रबंध अधिकारी प्रथम मुख्याल टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.8.1991 एवं उक्त आदेश की पालना में दर्ज फैसल नामा0 संख्या 4 निर्णय दिनांक 5.8.1991 वाके ग्राम लहसोडा तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि मृतक रामपाल की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी साबिक ख.न.193,278,309,904,941,994 कुल किता 6 रकबा 39.14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम लहसोडा मे स्थित है। सहायक भू प्रबंध अधिकारी एवं रेस्पो0 ने आपस मे सांज कर दिनांक 9.7.1991 को खाता विभाजन संबंधी प्रार्थना पत्र तैयार किया जिसपर अपीलान्ट एवं उसकी मॉ के फर्जी हस्ताक्षर कर एवं 35 रू के शपथ पत्र के द्वितीय पृष्ठ जो 5/— रूपये का स्टाम्प है में काटछांट कर "मु0 तुलसा बेवा रामपाल गिर्राज के हिस्से मे रहेगी " शब्द बाद मे जोडा जाकर गुपचुप तरीके से रिपोर्ट ली जाकर बिना मौके कब्जे की जॉच किये दिनांक 5.8.1991 को खाता विभाजन का आदेश अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर पारित किया गया है तथा उक्त आदेश की पालना मे भरा गया नामा0 4 दिनांक 5.8.1991 विधि विरूद्ध है उक्त विभाजन में सीताराम [illegible] को 8 बीघा 5 बिस्वा, रेखराज को 15 बीघा 19 बिस्वा, एवं अपीलान्ट गिर्राज एवं उसकी मॉ [illegible] 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि दी गयी है इस प्रकार उक्त खाते का विभाजन रामपाल के चारो वारिसान के [illegible] नही किया इसके अतिरिक्त उक्त खाता विभाजन मे अपीलान्ट संख्या 2 को कोई [illegible] नहीं मिला है। यह तर्क भी दिया कि भूप्रबंध विभाग को खातेदारी मे परिवर्तन [illegible] का अधिकार प्राप्त [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:19:08 IST
Reason: SelfAttested



(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RBJ(28)2021 Page 688-697 प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया। आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.11.2022 को पटवारी हल्का के बताये जाने पर प्राप्त होने तथा दिनांक 25.11.2022 को आदेश जैर अपील की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी अपील अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है अतः अपील मयाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि अपीलान्ट गिर्राज एवं रेस्पो0 1 लगायत 9 के पिता सीताराम व रेखराज द्वारा रामपाल की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी साबिक ख.न.193,278,309,904,941,994 कुल किता 6 रकबा 39.14 बिस्वा भूमि वाके ग्राम लहसोडा का आपसी सहमति से विभाजन करवाने बाबत सहायक भूप्रबंध अधिकारी मु0 टोक को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही सहायक भूप्रबंध अधिकारी द्वारा खाता विभाजन किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ 35/–रू के शपथ पत्र पर अपने–अपने कब्जे काश्त की भूमि को अपने–अपने नाम करवाने बाबत सहमति प्रदान की हुई है उसी आधार पर सहायक भूप्रबंध अधिकारी द्वारा दिनांक 5.8.1991 को आदेश जैर अपील पारित किया है तथा उक्त आदेश की पालना मे ही नामा0 संख्या 4 दिनांक 5.8.1991 पारित किया गया है जो विधिसम्मत होने के कारण हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया ।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश जैर अपील को इसलिए गलत बताया गया है क्योकि प्रथम तो आदेश जैर अपील पारित करने का अधिकार सहायक भूप्रबंध अधिकारी को प्राप्त नही है इसके अतिरिक्त आदेश जैर अपील द्वारा किये गये खाता विभाजन में भी सभी पक्षकारान को समान भूमि नही दी गयी है तथा भूमि कम ज्यादा देने का उचित कारण भी अंकित नही किया है इसके अतिरिक्त अपीलान्ट संख्या 2 मृतक रामपाल की पुत्री रूकमणी को भी उक्त खाते मे कोई हिस्सा नही दिया है। वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश जैर अपील विधिविरूद्व होने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे पेश किया गया न्यायिक दृष्टान्त RBJ(28)2021 Page 688-697 भी उक्त प्रकरण मे बखूबी चस्पा होता है। वकील रेस्पो0 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा न्यायिक दृष्टान्त पेश नही किया गया है जिसके आधार पर आदेश जैर अपील को विधिसम्मत माना जा सके। अतः विधिविरूद्व पारित आदेश जैर अपील को खारिज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील (सहायक भूप्रबंध अधिकारी का आदेश दिनांक 5.8.1991 एवं नामा0 संख्या 4 निर्णय दिनांक 5.81991) खारिज किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सवाईमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक रामपाल की विरासत का सभी वारिसान के नाम से नामा0 दर्ज किया जावे तथा सभी वारिसान को सुनवायी एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाकर पुनः नियमानुसार बटवारा किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.7.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:19:08 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner